समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R - 2772 - III/13

1. स्वदेश कुमार जैन तनय मोहनलाल अग्रवाल
2. राकेश कुमार जैन तनय केवलचन्द्र जेन
   दोनो निवासी – देवेन्द्रनगर तहसील देवेन्द्रनगर
   जिला पन्ना म.प्र. ..... आवेदकगण

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम के तहत

उपरोकत आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 625 वी/121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैं।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा आवेदकगणों के विरूद्ध विवादित रूप से प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.7.10 को आदेश पारित किया था जिसकी कोई सूचना आवेदकगणों को नहीं दी गई अंतिम आर्डर शीट पर बिना उपस्थिति के भी टीप किए जाने का उल्लेख कर प्रकरण समाप्त किया गया था जिनकी जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा विधिवत धारास 5 अवधि अधिनयम का आवेदन एवं शपथ पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय के आर्डर शीट की प्रमाणित प्रतियां श्रीमान अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिन्होंने प्रकरण पर प्रकाश डाले बिना प्रकरण को समय अवधि वाहय मानते हुए प्रकरण प्रारंभ तय ही खारिज किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-2772/तीन/2013 **जिला** पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश स्वदेश कुमार/ म0प्र0शासन	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। ऐसी स्थिति में अभिलेख के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। आवेदक अधिवक्ता की ओर से किए गये निवेदन के आधार पर मेरे द्वारा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा उन पर विचार किया गया। निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रकरण कमांक 625/बी–121/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 9.7.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपर आयुक्त सागर के उक्त प्रकरण का अवलोकन करने से पाया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा अपील कमांक 625/बी–121/अपील/12–13 अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 54/बी--121/05–06 में पारित आदेश दिनांक 31.7.2010 के विरूद्ध दिनांक 20.5.2013 को लगभग 3 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की जाने से तथा विलम्ब के संबंध में कोई ठोस आधार अपर आयुक्त के समक्ष तर्क के समय प्रस्तुत न करने के आधार पर अपील अवधिबाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की गयी है। अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनाक 9.7.13 के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है, कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनाई गयी प्रकिया त्रुटिपूर्ण रही है तथा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण दिनांक	

8.12.09 को आदेशार्थ नियत किए जाने पर दिनांक 29.12.09, से अन्य 6 पेशियां आदेशार्थ बढाए जाने के बाद अंतिम पेशी आदेशार्थ दिनांक 29.6.10 नियत की गयी तथा दिनांक 31.7.10 को आदेश पारित कर दिया गया जिसकी सूचना आवेदकगण को नहीं हो सकी। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयीन अभिलेख के अवलोकन से पाया गया, कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण दिनांक 27.6.08 को उपस्थित हुए तथा इस दिनांक को प्रकरण में बहस हेतु पेशी दिनांक 15.7.08 नियत की गयी थी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बहस हेतु नियत की गयी पेशी की आवेदकगण को विधिवत नोट कराया जाकर सूचना एवं जानकारी दी गयी थी। उक्त नियत पेशी की सूचना होने के बाद भी आवेदकगण आदेश दिनांक 31.7.10 तक लगभग 2 वर्ष के अंतराल में लगातार 30 पेशिया नियत की गयी किन्तु आवेदकगण लगातार अनुपस्थित रहे, जबकि आवेदकगणों को बहस हेतु नियत पेशी की जानकारी होने के कारण उनका दायित्व था कि वे अपने प्रकरण में उपस्थित होकर यह जानकारी करते कि उनके प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में क्या कार्यवाही हो रही है। क्योंकि उन्हें बहस हेतु नियत किए गये दिनांक 15.7.08 की जानकारी थी इस प्रकार बहस हेतु नियत पेशी की जानकारी विधिवत होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहना यह सिद्ध करता है कि उन्हें प्रकरण में कोई रूचि नहीं थी तथा वे जानबूझ कर अनुपस्थित रहे। इस प्रकार लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 2 वर्ष जैसी काफी लम्बी अवधि का इंतजार करने के बाद दिनांक 31.7.10 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.7.2010 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

इस प्रकार आवेदकगण का यह कहना अनविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.7.10 की जानकारी समय पर नहीं हो सकी, स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 09.07.2013 विधिअनुकूल होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 09.07.2013 यथावत रखा जाता है

तथा निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा. रि. हो।

सदस्य